एम.ए.सी.पी. संख्या १७८/२०२०,
१. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व.नारायण दास उम्र ४८ वर्ष
२. जितेन्द्र पुत्र स्व. नारायण दास उम्र २८ वर्ष
३. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नारायण दास उम्र २७ वर्ष
निवासियान ग्राम महेबा पोस्ट पहाड़ी बुजुर्ग तहसील मोंठ जिला झाँसी उ. प्र.

---------याचीगण

प्रति

१. किशोरी लाल पुत्र श्री आशाराम निवासी ग्राम व पोस्ट जौरी बुजुर्ग तहसील व जिला झाँसी उ. प्र.

.........चालक कार नं. यू. पी. ९३ ए एल ४८५२

२. रत्नेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास निवासी वार्ड नं. १६ बजरिया मुहल्ला चिरगाँव तहसील मोंठ जिला झाँसी उ. प्र.

.........पंजीकृत स्वामी कार नं. यू. पी. ९३ ए एल ४८५२

३.न्यू इंण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड झाँसी जरिए मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इंण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कचहरी चौराहा, झाँसी जिला झाँसी उ. प्र.

.........बीमाकर्ता कार नं. यू.पी.९३ए एल ४८५२

---------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुपर्व शरण

<u>१२.१२.२०२०</u>

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा नारायण दास को मोटर वाहन दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने पर क्षतिपूर्ति ₹ २२,५०,००० हेतु प्रस्तुत हुआ है। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विगत नियत तिथि पर २५बी सुलहनामा पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा २५बी याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। २५बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ४,५०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २५बी की पुष्टि की गयी है तथा याची सुलहनामा २५बी में दर्शित कुल ₹ ४,५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २५बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा २५बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २५बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ **४,५०,००० (चार लाख पचास हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC-PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १ लगायत ३ क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से ७५-७५ प्रतिशत भाग प्रत्येक के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी की योजना बनाई जाएगी तथा प्रत्येक शेष २५-२५ प्रतिशत प्रतिकर धनराशि वे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगें। तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:52:51 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi